

## अफीम कृषकों के अफीम पोस्त के रिकार्ड/डाटा को विभागीय वेवसाइट पर देखने हेतु दिशा निर्देश।

1. अफीम कृषक/मृतक कृषक के उत्तराधिकारी/हितगृही से अनुरोध/अपील की जाती है कि वे विभाग की वेवसाइट (<http://cbn.nic.in>) पर **Browse/ब्राउस** करें।
2. यदी पेज खुलने पर **ActiveX Controls** का प्रोम्प्ट (*prompt*) आता है, तो उसे 'Allow' कर दें।
3. होम पेज पर "अफीम कृषकों का रिकार्ड" / "Opium Cultivators Data" लिंक पर क्लिक करें।
4. इसके बाद **अफीम कृषकों का रिकार्ड" / "Opium Cultivators Data"** पेज पर अपने राज्य का नाम चुने/क्लिक करें।
5. क्लिक करने पर संबंधित राज्य के डिवीजन ऑफिसों के नाम की सूची दिखाई देगी। इस सूची में से अपने संबंधित डिवीजन ऑफिस का चयन/क्लिक करें।
6. डिवीजन ऑफिस को क्लिक करने पर वर्षवार सूची दिखाई देगी।
7. संबंधित विशेष" वर्ष का आकडा/डाटा देखने के लिए उक्त संबंधित वर्ष पर चयन/क्लिक करें।
8. संबंधित वर्ष पर क्लिक करने पर दाहिने तरफ एक विन्डो/ (Tab) खुलेगी जिसमें उस वर्ष का पूरा रिकार्ड **PDF File** फोरमेट में दिखाई देगा।
9. अफीम कृषक को अपना रिकार्ड/डाटा देखने के लिए फाइन्ड विकल्प का उपयोग करें, जिसके लिए (**Ctrl+F**) 'Ctrl' एवं ' F' बटन कीबोर्ड पर एक साथ दबायें। इसके बाद सर्च (Search) बाक्स पर अपना नाम या गाँव का नाम टाइप करें फिर फाइड (Find) बाटन दवाये। पहली बार में नाम/गाँव का नाम न मिलने पर अगला (Next) बाटन का उपयोग करें। इस प्रकार वह संबंधित वर्ष का रिकार्ड/डाटा देख सकते है।
10. इसी प्रकार अन्य वर्षों का रिकार्ड/डाटा भी देखा जा सकता है।
11. यदि रिकार्ड/डाटा में कोई भी त्रुटि होती है तो सुधार हेतु संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के आवेदन भेज सकते है। आवेदन भेजने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।

To view the above instruction is Hindi please follow the link on home page:  
<http://cbn.nic.in/html/fntinst.htm>

## **Description of Codes used in the Opium Cultivation Data Page**

### **(A) Codes used in the column for “Status/ Quality of opium”**

<b>Code used in column “Status/ Quality of opium”</b>	<b>Description</b>
<b>G</b>	Good Opium
<b>I</b>	Inferior Opium
<b>F</b>	Fully Uprooted
<b>N</b>	Not Sown
<b>O</b>	Other Reasons ( <i>with reasons mentioned in remarks column</i> )

### **(B) Codes used in the column for “Reason for non-issuance of Licence”**

<b>Code used in column “Reason for non-issuance of Licence”</b>	<b>Description</b>
<b>01</b>	NDPS Cases
<b>02</b>	Inferior
<b>03</b>	Excess Cultivation
<b>04</b>	Low Yield
<b>05</b>	Low Consistency
<b>06</b>	Violation of Departmental Instructions
<b>07</b>	Two or Three years continuous Uprooting
<b>08</b>	Voluntarily Refusal or/ and Absent Cases
<b>09</b>	Death Cases
<b>10</b>	Not adjusted in Neighbouring Villages
<b>11</b>	Any Other Reasons

**“Old Unique Code” means** – Old code of cultivators mentioned in the case where they have been allotted new code due to transfer to another village/ division

### **Narration used in the column for “Remarks”**

<b>Name Change</b>	Change in the name of cultivator due to death or transfer to legal heirs
<b>Transfer/ Village name</b>	Transfer to another village/ division mentioned as Transfer/ ( <i>Village name</i> )